न्यायालय डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 38/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
अचलदास दत्तक पुत्र चांदणमल जाति महाजन, निवासी–सांगड, तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर		1. अम्बादान पुत्र पन्नादान चारण, निवासी सांगड, तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर के कायम मुकाम– 1/1 विजोदेवी पत्नी स्व0 अम्बादान 1/2 रतनदान पुत्र स्व0 अम्बादान 1/3 भीकदान पुत्र स्व0 अम्बादान 1/4 कैलाशदान पुत्र स्व0 अम्बादान 1/5 आसुदान पुत्र स्व0 अम्बादान (सभी जाति चारण, निवासी–सांगड, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर) 1/6 सायरकंवर पुत्री स्व0 अम्बादान पत्नी शिवदान, निवासी–बंधाउड़ा, तहसील बाप जिला जोधपुर। 1/7 शांति पुत्री स्व0 अम्बादान पत्नी खेतदान, निवासी–भिखोड़ाई, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर 1/8 हवीकंवर पुत्री स्व0 अम्बादान पत्नी परागदान चारण, निवासी –ग्राम आरंग, तहसील शिव 1/9 हंसीकवंर पुत्री स्व0 अम्बादान पत्नी परागदान चारण, निवासी –सोढ़ा, तहसील फतेहगढ 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ़, जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसलमेर दिनांक 06.06.2016 राजस्व अपील संख्या 06/2015 अनवान अम्बादान बनाम राज0 सरकार वगैरा

उपस्थित–

1. श्री सुगनमल परिहार व श्री रोशनलाल, वकील अपीलाण्ट

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

2. श्री उम्मेदसिंह बांवरला वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 व 1/7 से 1/9
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2
4. रेस्पो0 सं0 1/6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 6 .01.2023

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलाण्ट ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 06/2015 अम्बादान बनाम राज0 सरकार वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर के मुतंकिली प्रार्थना पत्र सं0 5917/2016 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2016 की पालना में न्यायालय हाजा को अन्तरित होकर प्राप्त हुई है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला जैसलमेर में बंदोबस्त एवं उससे पूर्व तथा वक्त आवंटन के रेकर्ड अनुसार अपीलांट के पिता चांदणमल पुत्र अणतलाल जाति महाजन निवासी सांगड द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर उप–जिलाधीश (उपखण्ड अधिकारी) जैसलमेर के आदेश कमांक 360–62 दिनांक 14.07.1971 के द्वारा दिनांक 21.6.71 को केम्प फतेहगढ में हुई भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक के निर्णयानुसार आवेदक–चांदणमल को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 101 के अधीन आवंटन की शर्तो पर व भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 के अनुसार खसरा नं0 7 ग्राम सांगड में पड़त सरकार 75 बीघा, बाजरीया किस्म, कृषि भूमि दस वर्षो के लिए आवंटित की गई। जिसके अनुसरण में हल्का पटवारी फतेहगढ द्वारा दिनांक 17.10.1972 को आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी को सुपुर्द किया गया, जिसकी हदूद उत्तर में कूम्बटिया वाला मगरा, दक्षिण में अम्बादान का खेत, पूर्व में मूलचंद का खेत व पश्चिम में मंगलदान का खेत रही। माफिक आदेश नामान्तरकरण सं0 28 दिनांक 10.01.1973 खसरा नम्बर को रिक्त रखते हुए पारित किया गया। तद्उपरांत नियमित बंदोबस्त का

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अभिलेख लागू होने पर आवंटी–चांदणमल के नाम ग्राम सांगड के सिवाय चक खसरा नम्बर 435 कुल रकबा 129.05 बीघा भूमि, किस्म बारानी में से खसरा नं0 435 बटा 755 रकबा 75 बीघा भूमि का ना0क0सं0 15 दिनांक 30.09.1977 को नायब तहसीलदार जैसलमेर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उक्त स्वीकृत ना0क0सं0 15 के विरूद्ध रेस्पो0 सं0 1–अम्बादान पुत्र पन्नादान चारण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसलमेर के समक्ष राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत प्रथम राजस्व अपील सं0 06/2015 में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2016 द्वारा अपीलाधीन ना0क0सं0 15 दिनांक 30.09.1977 को निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार फतेहगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे समरी खसरा नं0 7 वर्तमान में स्थाई बंदोबस्त के जिस खसरा में स्थित हो उसके संबंध में सक्षम स्तर से तरमीम आदेश जारी करवा कर, इस प्रकार जारी होने वाले तरमीम आदेश के अनुसरण में आवंटी–चांदणमल के हक में नियमानुसार ना0क0 भरने व स्वीकार करने की कार्यवाही करे। अति0 जिला कलेक्टर जैसलमेर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट–रेस्पो0सं0 2–अचलदास ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के पिता चांदणमल ग्राम सांगड के निवासी थे। जिला जैसलमेर ने सन् 1971 से पूर्व भू–प्रबंध की कोई कार्यवाही की जाकर पुख्ता राजस्व रेकर्ड संधारित नही किया गया था तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काल्पनिक खसरा नम्बर कायम किए गये थे। इसी दौरान्न राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 प्रभावी हुए, तो व्यापक स्तर पर भूमिहीनों को कृषि भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट के स्व0 पिता ने भी ग्राम सांगड में कृषि भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया। इस दौरान्न जिला जैसलमेर में बंदोबस्त की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी एवं पहले समरी बन्दोबस्त की कार्यवाही की गई। इस कारण अपीलांट के पिता के नाम जो आवंटन आदेश

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

दिनांक 14.7.71 को जारी किया गया उस आवंटन आदेश में आवंटित भूमि के पड़ौस दर्ज किए गये तथा इसी अनुसार दिनांक 17.10.1972 को उन्ही पडौसों के बीच की भूमि का कब्जा आवंटी को दिया जाकर कब्जे की फर्द बनायी गई। राजस्व रेकर्ड में पहले जो नामान्तरकरण सं0 28 भरा गया उस समय तक पुख्ता खसरा नम्बर का रेकर्ड तैयार नही हुआ था, इस कारण 75 बीघा रकबा आवंटी के नाम दर्ज किया गया। बाद में सेटलमेंट का रेकर्ड तैयार होकर नक्शा बन गया तो आवंटन आदेश में वर्णित भूमि राजस्व नक्शे में जहां स्थित होना पाया गया, वह खसरा नम्बर नामान्तरकरण में दर्ज करते हुए नामान्तरकरण सं0 15 दिनांक 30.09.1977 को स्वीकार किया गया एवं 75 बीघा भूमि खसरा नम्बर 435 में स्थित होने से इसकी नक्शे में तरमीम कर दी गई। इस खसरे से चीपते खसरा नम्बर 433 की भूमि स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की थी, जिसका उसने वर्षो पूर्व बेचान कर दिया। उस बेचाननामें में भी जो पड़ौस दर्शाये गये उसमें अपीलार्थी की भूमि का पड़ौस दर्शाया गया एवं अपीलार्थी उसी अनुसार उस भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता रहा है। रेस्पो0 ने वर्ष 1977 में स्वीकृत उक्त ना0क0स0 15 के विरूद्ध एक अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसलमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जो दर्ज अपील सं0 06/2015 में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2016 द्वारा स्वीकार कर, अपीलाधीन ना0क0स0 15 को निरस्त कर दिया गया।

उक्त अपील लगभग 38 वर्षो के बाद प्रस्तुत की गई थी, जो मियाद बाहर होने से खारीज योग्य थी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु को सरसरी तौर पर निर्णित करते हुए अपील को अन्दर मियाद मान लिया गया। स्वयं रेस्पो0 द्वारा वर्ष 1971 में भूप्रबंध एआरओ के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इसके पश्चात उसके द्वारा ख0नं0 433 की भूमि के संदर्भ में निष्पादित विक्रय विलेख से स्पष्ट है कि उसे नामान्तरकरण जैर अपील एवं अपीलार्थी के कब्जे की शुरू से जानकारी थी तथा इसी भूमि को लेकर उसने एक राजस्व वाद भी पेश कर रखा है। अतः उक्त स्थिति में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य था। वर्तमान मामले में वक्त आवंटन सेटलमेंट के

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अभाव में भूमि के पुख्ता खसरा नम्बर नही थे एवं न ही नक्शा तैयार किया गया था, जब पुख्ता नक्शा तैयार कर राजस्व कर्मचारियों को सुपुर्द किया गया, तो उसके आधार पर आवंटन आदेश में वर्णित भूमि नक्शे में जिस खसरा नम्बर में होना पायी गई, वही खसरा आवंटी के नाम दर्ज किया गया। अतः उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण में कोई त्रुटी नही है।

इसके अलावा स्वयं रेस्पो0 ने दौराने भू–प्रबंध एआरओ के समक्ष लिखित आवेदन किया था कि वह खसरा नम्बर 416, 435 व 554 की भूमि का पर्चा प्राप्त नही करना चाहता है एवं न ही उसका इस भूमि पर कब्जा है। उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं रेस्पो0 के हस्ताक्षरसुदा पत्रावली पर पेश किया, जिस पर एआरओ ने दिनांक 24.05.1971 को संशोधित पर्चा जारी किया। इतने वर्षो बाद रेस्पो0 अपने उक्त कथन से मुकरना चाहता है। उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रतियां अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिस पर गौर नही किया गया। साबिका खसरा नं0 7 राजस्व नक्शे में कहीं पर भी दर्शाया हुआ नही है, अपीलार्थी द्वारा ख0नं0 7 के राजस्व नक्शे एवं मिलान क्षेत्रफल का नकल आवेदन यह कहते हुए इन्कार किया गया कि संबंधित रेकर्ड उपलब्ध नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में तहसीलदार फतेहगढ को जारी निर्देश की पालना संभव नही है। रेस्पो0 को अधीनस्थ न्यायालय में समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही था और न ही नामान्तकरण जैर अपील से उसके कोई अधिकार प्रभावित हुए, जिसके लिए उसके द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति भी नही मांगी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का मनमाना एवं गलत अर्थ निकालते हुए रेस्पो0 के जबानी कथनों के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 27 सपठित धारा 151 मय शपथ पत्र एवं फार्म नं0 3 के साथ पेश करन्दा दस्तावेज की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

4. जवाब में रेस्पो0 सं0 1 के कायम मुकाम की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि रेस्पो0 सं0 1 अम्बादान की खातेदारी भूमि ग्राम सांगड़ के समरी बन्दोबस्त के समय खसरा सं0 171 दर्ज रही थी, जिसका बन्दोबस्त में खसरा सं0 435 बनकर खातेदारी दर्ज हुई। जिसे बिना किसी जानकारी के काट–छांट कर सिवायचक दर्शाया गया, जबकि सेटलमेंट विभाग के एआरओ को किसी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने एवं किसी को खातेदार घोषित करने का कोई कानूनन अधिकार नही था। रेस्पो0 सं0 1 की खातेदारी खसरा नं0 435 में विधि–विरूद्ध एवं अवैध तरीके से समाप्त करने पर रेस्पो0 ने उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ़ के समक्ष खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। जो वाद सं0 38/14 दिनांक 15.06.2016 को डिक्री किया जाकर रेस्पो0 को खातेदारी काश्तकार घोषित किए जाने का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जो अपील सं0 16/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2017 द्वारा खारीज की गई। उक्त निर्णय के पश्चात अपीलांट अचलदास ने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें रेस्पो0 सं0 1 के कायम मुकाम को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही इनकी अनुपस्थिति में दर्ज अपील संख्या 155/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2019 द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त कर दी गई। जबकि रा0अ0अ0 बाडमेर को ऐसा निर्णय पारित करने का कोई कानूनी क्षेत्राधिकार ही नही था, क्योंकि उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में इसी निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को खारीज किए जाने संबंधी निर्णय दिनांक 25.07.2017 को पारित किया गया था। न्यायालय आर0अ0अ0 बाडमेर द्वारा पारित पश्चातवर्ती निर्णय दिनांक 09.05.2019 के विरूद्ध रेस्पो0 सं0 1 के कायम मुकाम ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जो अपील डिक्री/टी.ए. संख्या 3930/2019/जैसलमेर, अनवान

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

रतनदान बनाम अचलदास में दिनांक 06.08.2019 को विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख एवं मौके की उभय पक्ष द्वारा यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनायी रखे जाने का अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया है, इसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.03.2023 नियत है।

इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया कि अपीलांट के पिता को ग्राम सांगड के खसरा नं0 7 रकबा 75 बीघा दिनांक 21.06.1971 को आवंटन की गई थी। उक्त खसरा सं0 7 का स्थाई बंदोबस्त में खसरा संख्या 303 दर्ज किया गया व भूमि अपीलांट के पिता के नाम गैर खातेदार दर्ज की गई। जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 एवं गिरदावरी संवत् 2030 से 2033 से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 7 से स्थाई बंदोबस्त में खसरा नं0 303 ही बने है तथा खसरा नं0 435 से खसरा नं0 7 का कोई सरोकार नही है। अतः अपीलांट को खसरा सं0 303 में ही खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु चाराजोही करनी चाहिए।

अपीलांट अपने पिता को खसरा नं0 7 में दिनांक 21.06.1971 को आवंटन होना बता रहा है, जबकि उक्त आवंटन दिनांक 21.06.1971 से पूर्व खसरा नं0 435 अस्तित्व में था। जो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एआरओ का आदेश दिनांक 24.05.1971 से स्पष्ट है। जब अपीलांट के पिता को आवंटन किया गया था, उससे पहले ही खसरा संख्या 435 अस्तित्व में था, तो बाद में खसरा नं0 7 से खसरा नं0 435 बनना कतई संभव नही है।

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 15 हल्का पटवारी ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के खसरा नं0 435 में भरा गया है, जबकि सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त होने के बाद ही स्थायी बंदोबस्त के खसरान की भूमि का नामान्तरकरण भरा व स्वीकृत किया जाता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा अपीलाधीन ना0क0सं0 15 प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होने से निरंस्त किया गया है, जो न्यायोचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारीज कर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखने का निवेदन किया गया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

इनके द्वारा अपने कथनो के समर्थन में फार्म नं0 3 के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रतियां, लिखित बहस एवं न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1983 पेज नं. 64–71, आरआरटी 2013(1) पेज नं0 226–233 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

5. रेस्पो सं0 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह निवेदन किया कि जिला जैसलमेर में उक्त कार्यवाही, बंदोबस्त एवं उससे पूर्व तथा वक्त आवंटन के रेकर्ड अनुसार की गई है, जो विधि अनुकूल होने से अपील अपीलांट स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

6. उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार यह पाया जाता है कि जिला जैसलमेर में उक्त कार्यवाही, बंदोबस्त एवं उससे पूर्व तथा वक्त आवंटन के रेकर्ड अनुसार की गई है, जो विधि अनुकूल होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नही है। क्योंकि भू–प्रबंध विभाग के फर्द इन्तलाफ इन्द्राज खसरा कार्यवाही में दर्शित है कि वक्त कार्यवाही स्वयं रेस्पो0 सं0 1–अम्बादान द्वारा खसरा नं0 435 में कब्जा काश्त होने से इन्कार किया गया तथा वक्त आवंटन के रेकर्ड अनुसार, आवंटन आदेश में आवंटित भूमि के दर्ज पड़ौस के अनुसार दिनांक 17.10.1972 को आवंटित भूमि का कब्जा अपीलांट–आवंटी–चांदणमल को दिया जाकर कब्जे की फर्द बनायी गई है, जिसमें इस खसरे से चीपते हुए खसरा नम्बर 433 की भूमि रेस्पो0 सं0 1–अम्बादान की खातेदारी दर्शायी हुई है, जिसका उसने वर्षो पूर्व बेचान कर दिया तथा उस बेचाननामे में भी अपीलांट–चांदणमल के उक्त खसरा नं0 435 की भूमि का पड़ौस दर्शाया हुआ है। इससे यह साबित है कि जैसलमेर में नियमित बंदोबस्त का अभिलेख लागू होने पर आवंटी–चांदणमल के नाम आवंटित कृषि भूमि का ग्राम सांगड के सिवाय चक खसरा नम्बर 435 कुल रकबा 129.05 बीघा भूमि, किस्म बारानी में से खसरा नं0 435 बटा 755 रकबा 75 बीघा भूमि का नामान्तरकरण सं0 15 दिनांक 30.09.1977 को नायब तहसीलदार जैसलमेर द्वारा स्वीकृत किया गया है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2016 को निरस्त किया जाकर अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण सं0 15 स्वीकृत दिनांक 30.09.1977 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06 जनवरी, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर सत्यमेव जयते

06/01/2023

(कैलाश चन्द्र मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर